

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 337 / 3क(2)/नियुक्ति/2016-17/दिनांक 11/07/16

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या- सेवा-2 / 709-11 / 2016-17 दिनांक 11-04-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद के विज्ञापन संख्या-7111 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती /हिन्दी / 2016-17 दिनांक 02-05-2016 एवं विज्ञापन संख्या-7431 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती /हिन्दी / 2016-17 दिनांक 04-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (हिन्दी) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीविधाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: हिन्दी

शाखा: महिला

क्र० सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	लिखित परीक्षा गुणांक	पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लक्ष्मी पुत्री श्री बलवन्त सिंह बिष्ट, ग्राम सिरौली, गोपेश्वर, चमोली-	01.01.1985	चमोली	सामान्य	महिला	148.50	रा०क०इ०का० लैन्सडौन जयहरीखाल पौड़ी गढ़वाल
2	आशा पुत्री श्री सच्चिदानन्द, ग्राम व पोस्ट मक्कूमठ, रूद्रप्रयाग	02.03.1991	रूद्रप्रयाग	सामान्य	महिला	144.75	रा०बा०इ०का० बडकोट नौगाँव उत्तरकाशी
3	रीता पुत्री श्री राम प्रसाद, ग्राम किमाणा, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग-246421	10.12.1984	रूद्रप्रयाग	सामान्य	महिला	143.25	रा०क०इ०का० घनसाली भिलंगना टिहरी
4	पूनम पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह, किमाणा, पो० ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग	02.07.1990	रूद्रप्रयाग	सामान्य	महिला	142.00	रा०क०उ०मा०वि० घाट घाट चमोली
5	रंजना पुत्री श्री धूम सिंह, ग्राम कुनेथ, नैनीसैण, चमोली-246488	15.02.1991	चमोली	सामान्य	महिला	141.25	रा०क०उ०मा०वि० देवाल देवाल चमोली
6	बिमला पुत्री श्री दीवान सिंह, ग्राम किणजाणी, बाड़व, रूद्रप्रयाग	06.05.1986	रूद्रप्रयाग	सामान्य	महिला	140.75	रा०बा०इ०का० लम्बगाँव प्रतापनगर टिहरी
7	मीना पुत्री श्री जसपाल सिंह, ग्राम काण्डई, टंगसा, चमोली	15.07.1989	चमोली	सामान्य	महिला	136.50	रा०बा०इ०का० लम्बगाँव प्रतापनगर टिहरी
8	सोनम पुत्री श्रीकृष्ण घिल्डियाल, ग्राम खोला, श्रीनगर गढ़वाल-246174	06.06.1987	पौड़ी गढ़वाल	सामान्य	महिला	136.25	रा०क०उ०मा०वि० अखोड़ी भिलंगना टिहरी
9	शशिबाला नौटियाल पुत्री श्री इन्द्रदत्त रतूड़ी, ग्राम हुडोली, पुरोला, उत्तरकाशी	07.08.1981	उत्तरकाशी	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	131.75	रा०बा०उ०मा०वि०मोरी मोरी उत्तरकाशी

10	आयुशी पंवार पुत्री श्री सन्दीप कुमार, अलावलपुर, भिकमपुर, हरिद्वार-247671	08.04.1989	हरिद्वार	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	130.00	रा०क०इ०का० एकेश्वर एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल
11	सीमा पुत्री श्री भगीरथ सिंह, मिलापनगर, रुड़की, -247667	02.06.1988	हरिद्वार	अनु०जा०	महिला	127.50	रा०क०इ०का० पोखरी थलीसैण पौड़ी गढ़वाल
12	रीना कौशल पुत्री श्री सोहन लाल कौशल, ग्राम व पोस्ट जाडगांव, टि०गा०-249145	18.08.1987	टिहरी गढ़वाल	अनु०जा०	महिला	121.75	रा०क०उ०मा०वि० कोटीकनासर चकराता देहरादून
13	बबीता पुत्री श्री लाल सिंह, 96 सत्तीवाला बाग, रायपुर, देहरादून-248008	12.07.1974	देहरादून	अनु०जा०	महिला	121.25	रा०क०उ०मा०वि० कण्डिया रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल

(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा०अराज०-01/ 10631-10730 /3क(2)नियुक्ति/2016-17 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमां मण्डल नैनीताल।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में हिन्दी विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेब साईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू०टी०ई०टी०-2 अथवा सी०टी०ई०टी०-2 उत्तीर्ण न हो / प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त न हो/ अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक हो तो अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। दिव्यांग अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी केवल वाई क्षेत्र के विद्यालय में नियुक्त हो यह तथ्य जाँच लेवे। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डॉक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0.....
.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह0संस्थाध्यक्ष

नाम-

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

नोट- किसी भी अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

14. कार्यालय प्रति।

2 Dec 16

(समकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....
सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने सगे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

ह0

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 एवं सील संस्थाध्यक्ष



